राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, 2222805 ई–मेल. dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 38857-39078 दिनांक : 23/05/2022

1. **उपनिदेशक (क्षेत्रीय),**
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त राजस्थान।

2. **आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,**
   नगर निगम / परिषद् / पालिका,
   समस्त राजस्थान।

विषय : इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के तहत प्रारंभिक तैयारियों के क्रम में।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक 30025–30250 दिनांक 06.05.2022 एवं पत्रांक 33817–34036 दिनांक 12.05.2022 के क्रम में।

———————

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की निरन्तरता में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक सम्बल प्रदान कराने के उद्देश्य से 100 दिवस का रोजगार सुनिश्चित करने हेतु **"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना"** लागू करने की घोषणा की गई है।

उक्त योजना का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जून, 2022 के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तर पर शुभारम्भ (Launching) किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजना का शुभारम्भ (Launching) होने से पूर्व दिनांक 31 मई, 2022 तक नगरीय निकायों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. नगरीय निकाय के स्तर पर योजना के संचालन व क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों में IRGY सेल का गठन करते हुये, हेल्प डेस्क की शुरूआत करना एवं आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जावे।

2. कार्य की मांग हेतु योजना के प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र छपवाने का कार्य (प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर 1000 की संख्या में)।

3. नगरीय निकाय क्षेत्र में योजना में पात्र श्रमिकों का आंकलन करवाते हुये रोजगार चाहने वाले परिवारों / व्यक्तियों का चिन्हिकरण (Identification) करना एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार श्रम बजट (Labour Budget) तैयार करने की कार्यवाही करना।

Scanned with CamScanner

4. योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों का चिन्हिकरण करते हुये, कार्य योजना को नगरीय निकाय के संबधित अधिशाषी अभियंता से तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाकर सूचीबद्ध करवाना।

5. कराये जाने वाले सूचीबद्ध कार्यों का जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-Urban) से अनुमोदन करवाना।

6. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-Urban) से अनुमोदन उपरान्त कार्यों की नगरीय निकाय के स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना।

7. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-Urban) से अनुमोदित कार्यों की सूची को पोर्टल पर अपलोड करना।

8. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अंतर्गत माप पुस्तिकाऐं छपवाने का कार्य करवाना। मुख पृष्ठ का प्रारूप संलग्न है।

9. योजना के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु शहरी क्षेत्रों में स्थित ई–मित्र केन्द्रों के संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर उनको योजना से अवगत करवाना एवं योजना से जोड़ना।

10. योजना के शुभारम्भ से पूर्व नगरीय निकायों के स्तर पर विभिन्न संचार माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार (IEC Activities) करना सुनिश्चित करावें।

निर्देशानुसार उपरोक्त समस्त कार्यों को दिनांक 31.05.2022 से पूर्व आवश्यक रूप से पूर्ण करते हुये, की गई कार्यवाही से विभाग को ई–मेल आईडी **irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in** पर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 /39079-189 दिनांक : 23/05/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. सम्भागीय अधीक्षण अभियंता (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. अधिशाषी अभियंता (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned with CamScanner